Indian Contract Act, 1872 – Sections 1 to 25 (with one-line summaries for LLB Exam)

Chapter I – Preliminary

1. **Short title, extent and commencement** – Name, extent of application, and date of commencement.
2. **Interpretation clause** – Defines key terms like proposal, acceptance, consideration, agreement, contract.

Chapter II – Of the Communication, Acceptance and Revocation of Proposals

3. Communication, acceptance and revocation – Rules on communication of offers and acceptances.
4. Communication when complete – Specifies when communication is complete for offeror and acceptor.
5. Revocation of proposals and acceptances – Rules on withdrawing offers or acceptances.
6. Revocation how made – Manner of revocation.
7. Acceptance must be absolute – Acceptance must be unconditional and unqualified.
8. Acceptance by performance – Performing conditions or accepting consideration amounts to acceptance.

Chapter III – Of Contracts, Voidable Contracts and Void Agreements

9. Promises express and implied – Contracts may be express or implied.
10. What agreements are contracts – Essentials: free consent, lawful consideration/object, capacity, not expressly void.
11. Who are competent to contract – Age of majority, sound mind, not disqualified by law.
12. What is a sound mind – Able to understand and form rational judgment at the time of contract.

Chapter IV – Of Free Consent

13. Consent defined – When two or more agree upon the same thing in the same sense.
14. Free consent defined – Consent not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake.
15. Coercion – Committing/ threatening unlawful act to compel consent.
16. Undue influence – Using dominant position to gain unfair advantage.
17. Fraud – Deliberate deception to induce consent.
18. Misrepresentation – False statement without intent to deceive.
19. Voidability of agreements without free consent – Such agreements are voidable at the option of the aggrieved party.
19A. Power to set aside contract induced by undue influence – Court's power to modify or rescind such contracts.
20. Agreement void where both parties under mistake of fact – Bilateral mistake makes agreement void.
21. Effect of mistakes as to law – Mistake of Indian law not excusable; foreign law treated as fact.
22. Contract caused by mistake of one party – Unilateral mistake does not render contract void (except identity/subject matter).

Chapter V – Of Consideration

23. Lawful consideration and objects – Must not be illegal, immoral, or opposed to public policy.
24. Agreements void if unlawful in part – If unlawful part cannot be separated, whole agreement is void.
25. Agreement without consideration void – Exceptions: natural love and affection, past voluntary services, promise to pay time-barred debt, completed gift.

🏛️ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)

धारा 1 से 25 तक (Sections 1–25)

अध्याय I – प्रारंभिक (Preliminary)

धारा 1 – संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रवर्तन
➡ यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) और 1 सितम्बर 1872 से प्रभावी हुआ।
📘 *Short Note:* यह अनुबंध कानून की नींव रखता है, जिससे सभी कानूनी समझौते नियंत्रित होते हैं।

धारा 2 – व्याख्या (Interpretation Clause)
➡ यह धारा प्रस्ताव (Offer), स्वीकृति (Acceptance), प्रतिफल (Consideration), समझौता (Agreement) और अनुबंध (Contract) की परिभाषाएँ देती है।
📘 *Short Note:* यह सबसे महत्वपूर्ण धारा है; अनुबंध की समझ इन परिभाषाओं पर निर्भर करती है।

अध्याय II – प्रस्ताव, स्वीकृति और निरसन (Communication, Acceptance & Revocation)

धारा 3 – प्रस्ताव, स्वीकृति और निरसन का संचार
➡ प्रस्ताव और स्वीकृति के संचार के नियम बताती है।
📘 *Short Note:* बिना सही संचार के कोई वैध अनुबंध नहीं बनता।

धारा 4 – संचार कब पूर्ण माना जाएगा
➡ प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों के लिए संचार कब पूर्ण होता है, यह बताता है।
📘 *Short Note:* यह "Postal Rule" या संचार के समय निर्धारण का आधार है।

धारा 5 – प्रस्ताव और स्वीकृति का निरसन (Revocation)
➡ प्रस्ताव या स्वीकृति को कब और कैसे वापस लिया जा सकता है।
📘 *Short Note:* प्रस्ताव को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक स्वीकृति संप्रेषित न हो।

धारा 6 – निरसन कैसे किया जाता है
➡ प्रस्ताव का निरसन सूचना, समय समाप्ति, अस्वीकृति या प्रस्तावक की मृत्यु से हो सकता है।
📘 *Short Note:* Revocation तब तक वैध है जब तक दूसरा पक्ष उसे स्वीकार न कर ले।

धारा 7 – स्वीकृति निरपेक्ष होनी चाहिए
➡ स्वीकृति बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए।
📘 *Short Note:* कोई भी शर्त जोड़ने से नया प्रस्ताव (counter offer) बन जाता है।

धारा 8 – प्रदर्शन द्वारा स्वीकृति
➡ यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तें पूरी कर देता है, तो यह स्वीकृति मानी जाती है।
📘 *Short Note:* यह "Acceptance by conduct" कहलाता है।

अध्याय III – अनुबंध, शून्य एवं शून्य योग्य अनुबंध

धारा 9 – प्रतिज्ञाएँ – व्यक्त एवं अंतर्निहित
➞ अनुबंध मौखिक, लिखित या व्यवहार से भी बन सकता है।
📘 *Short Note:* Express या Implied दोनों प्रकार के अनुबंध वैध हैं।

धारा 10 – कौन-से समझौते अनुबंध हैं
➞ स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, सक्षम पक्ष, वैध उद्देश्य और न कि अवैध समझौता।
📘 *Short Note:* यह अनुबंध की "Essential Elements" धारा है।

धारा 11 – अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति
➞ बालिग, स्वस्थ मस्तिष्क वाला, और कानून से अयोग्य न हो।
📘 *Short Note:* नाबालिगों के अनुबंध "Void ab initio" होते हैं।

धारा 12 – स्वस्थ मस्तिष्क का अर्थ
➞ ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध के समय अपनी क्रिया की प्रकृति समझ सके।
📘 *Short Note:* अस्थायी मानसिक विकार वाले व्यक्ति भी सक्षम हो सकते हैं यदि समय पर मानसिक स्थिति सामान्य हो।

अध्याय IV – स्वतंत्र सहमति (Free Consent)

धारा 13 – सहमति की परिभाषा
➞ जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर समान अर्थ में सहमत हों।
📘 *Short Note:* "Consensus ad idem" — meeting of minds.

धारा 14 – स्वतंत्र सहमति की परिभाषा
➞ सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाती है जब यह दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखा, मिथ्या प्रस्तुति या भूल से मुक्त हो।
📘 *Short Note:* यह धारा अनुबंध की वैधता का आधार है।

धारा 15 – दबाव (Coercion)
➞ किसी को अवैध कार्य करने की धमकी या दबाव डालकर सहमति लेना।
📘 *Short Note:* ऐसा अनुबंध शून्य योग्य (Voidable) होता है।

धारा 16 – अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
➞ जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति या प्रभाव का अनुचित प्रयोग करे।
📘 *Short Note:* धार्मिक गुरु, डॉक्टर, वकील आदि पर यह धारा अक्सर लागू होती है।

धारा 17 – धोखा (Fraud)
➞ जानबूझकर असत्य कथन या छल द्वारा सहमति लेना।
📘 *Short Note:* धोखे से बना अनुबंध भी शून्य योग्य होता है।

धारा 18 – मिथ्या प्रस्तुति (Misrepresentation)
➞ बिना धोखा देने की मंशा के असत्य कथन करना।
📘 *Short Note:* धोखे और मिथ्या प्रस्तुति में "intention" का अंतर है।

धारा 19 – अस्वतंत्र सहमति वाले समझौते शून्य योग्य
➞ पीड़ित पक्ष के पास अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार है।
📘 *Short Note:* Contract voidable at the option of aggrieved party.

धारा 19A – अनुचित प्रभाव से बने अनुबंध को निरस्त करने की शक्ति
➞ न्यायालय ऐसे अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है।
📘 *Short Note:* Court can modify or set aside such contract.

धारा 20 – दोनों पक्षों की तथ्य में भूल
➞ यदि दोनों पक्ष किसी महत्वपूर्ण तथ्य में भ्रमित हों तो अनुबंध शून्य है।
📘 *Short Note:* "Bilateral Mistake = Void Contract."

धारा 21 – विधि में भूल (Mistake of Law)
➞ भारतीय कानून में भूल क्षम्य नहीं; विदेशी कानून की भूल तथ्य मानी जाती है।
📘 *Short Note:* "Ignorantia juris non excusat" — कानून की अज्ञानता क्षमा नहीं।

धारा 22 – एक पक्ष की भूल (Unilateral Mistake)
➞ केवल एक पक्ष की भूल अनुबंध को शून्य नहीं बनाती।
📘 *Short Note:* अपवाद — यदि विषयवस्तु या व्यक्ति की पहचान में भूल हो।

अध्याय V – प्रतिफल (Consideration)

धारा 23 – वैध प्रतिफल और उद्देश्य
➞ प्रतिफल या उद्देश्य अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।
📘 *Short Note:* Unlawful consideration makes agreement void.

धारा 24 – आंशिक अवैध समझौते
➞ यदि अवैध भाग अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा अनुबंध शून्य होगा।
📘 *Short Note:* "Severability Rule" का प्रयोग।

धारा 25 – बिना प्रतिफल का समझौता शून्य
➞ अपवाद:
1️⃣ प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से किया गया वादा।
2️⃣ पूर्व में स्वेच्छा से की गई सेवा का प्रतिफल।
3️⃣ समयबद्ध ऋण का भुगतान करने का वादा।
4️⃣ पूर्ण उपहार (Gift)।
📘 *Short Note:* "No consideration, no contract" – except under section 25 exceptions.